

17-12-19 पत्रावली वेडा अजापी अखिडाणी -

अधिकारी सिवई विभाग डोरखिली लिखित
वेडा सामिल सिवल फिके गरी पत्रावली
के अकलौकत फिकाग्या पत्रावली पूर्व
में पत्रावली रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण
की किया गया है जिसमें प्राथमिक
पर विद्योतल प्रपत्र (प्रारण) में फेस नहीं
किया गया है और ना ही इस रिपोर्ट
रिपोर्ट में कोई फस और किलि प्रकर
के हुई है फस स्पष्ट उल्लेख नहीं
है धारा 136 LRA में रिपोर्ट के
संबोधन हेतु दर्ज होने वाले प्रकरण
में कृषि के सम्बन्ध में सार्वधिक
रिपोर्ट के साथ प्रकृत होकर बाहिरी भाग
लेकिन इस प्रकरण में कोई प्रकिया
नहीं की गई है और तहसीलदार की
ओर की इस प्रकरण को स्वास्ति
करके तहसीलदार बरखाना को विवेकी
किया जात है कि वह निवोतल प्रकिया
में समुचित सबूतों के साथ पुनः प्राथमिक
पर प्रकिया करके को इसी के साथ -
पत्रावली निवोतल प्रकरण होकर नम्बर
लिखित है

Barv
Rev Irrigation
CSA

camp
1/10/19